vinetur

केन्या के व्यापक नियंत्रण विधेयक में हर मादक पेय की डिजिटल ट्रैकिंग का प्रस्ताव

विधेयक में chang'aa के लिए दोबारा न भरी जा सकने वाली कांच की बोतलें, शिशा और निकोटीन पाउच पर प्रतिबंध तथा तंबाकू संबंधी दंड बढ़ाने का प्रस्ताव है

सोमवार, 9 नवंबर 2026



केन्या अपने शराब और तंबाकू संबंधी नियमों में व्यापक बदलाव पर विचार कर रहा है। इसके तहत देश में बनने वाले या आयात किए जाने वाले सभी मादक पेयों की डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, chang'aa की पैकेजिंग के मानक सख्त किए जाएंगे और शिशा तथा निकोटीन पाउच पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill को 5 नवंबर को नेशनल असेंबली में प्रथम वाचन के लिए पेश किया गया। इसे नेशनल असेंबली के बहुमत नेता Kimani Ichung'wah ने प्रायोजित किया है। कानून बनने से पहले इस पर जनभागीदारी, संसदीय बहस और संभावित संशोधनों की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।

शराब से जुड़े प्रावधानों के केंद्र में एक प्रस्तावित डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली है, जो केन्या में निर्मित मादक पेयों और आयातित उत्पादों—दोनों पर लागू होगी। विधेयक के तहत निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बाद में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार इस प्रणाली का पालन करना होगा।

Ichung'wah ने कहा कि इस तकनीक का उद्देश्य अधिकारियों को खतरनाक शराब का स्रोत पहचानने में मदद करना है।

उनके मुताबिक, किसी पेय के सेवन का संबंध मौत या अन्य नुकसान से पाए जाने पर जांचकर्ता यह पता लगा सकेंगे कि उत्पाद कहां से आया था और कब बनाया गया था।

कानून बनने पर यह उपाय शराब की पूरी आपूर्ति शृंखला पर निगरानी बढ़ाएगा और ब्रुअरी, डिस्टिलरी, वाइन तथा स्पिरिट के आयातकों, थोक विक्रेताओं और दुकानों की अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियों को बदल सकता है। पेय उद्योग के लिए इसका अर्थ है कि नए मानकों के अनुरूप पैकेजिंग, रिकॉर्ड रखने और वितरण प्रणालियों में बदलाव करते समय नियंत्रण संबंधी अपेक्षाएं और परिचालन लागत बढ़ सकती हैं।

विधेयक में chang'aa के लिए भी सख्त नियम प्रस्तावित हैं। केन्या के अनौपचारिक शराब बाजार में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण लंबे समय से इस स्थानीय आसवन से बनी शराब पर ध्यान दिया जाता रहा है। इसके तहत chang'aa केवल कांच की उन बोतलों में बेची जा सकेगी जिन पर दोबारा न भरे जा सकने वाले ढक्कन हों। हर बोतल पर निर्माता का एक विशिष्ट सुरक्षा चिह्न वाला लेबल भी होना होगा, ताकि उपभोक्ता और नियामक उत्पाद की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकें।

यह मौजूदा नियमों को सख्त करेगा। अभी chang'aa और अन्य आसवन से बने मादक पेयों का निर्माण, पैकेजिंग, बिक्री या वितरण कांच की बोतलों, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) कंटेनरों या धातु की पैकेजिंग में किया जा सकता है। chang'aa को सुरक्षा-चिह्न वाले, दोबारा न भरे जा सकने वाले कांच के कंटेनरों में सीमित करके कानून निर्माता उत्पादों में छेड़छाड़ और बोतलों को दोबारा भरने पर रोक लगाने का प्रयास करते दिखते हैं। अवैध शराब पर नियंत्रण की कोशिशों में ये लगातार चिंता के विषय रहे हैं।

शराब से आगे बढ़ते हुए, विधेयक में शिशा के निर्माण, बिक्री और प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसमें किसी भी व्यक्ति को केन्या में शिशा पीने या निकोटीन पाउच के इस्तेमाल की अनुमति देने, प्रचार करने, सुविधा मुहैया कराने या प्रोत्साहित करने से भी रोका जाएगा।

इन प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को Sh5 million तक का जुर्माना, 10 साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। विधेयक में शिशा को ऐसे स्वादयुक्त या बिना स्वाद वाले तंबाकू उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शीरा, शहद, वनस्पति ग्लिसरॉल या अन्य प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्वाद हो सकते हैं।

शिशा पर सख्त नियमों की मांग के पीछे केन्या के National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse (NACADA) की बार-बार जारी की गई स्वास्थ्य चेतावनियां भी हैं। एजेंसी पहले कह चुकी है कि शिशा के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और टार जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इससे वाटरपाइप के जरिए तंबाकू के सेवन को लेकर व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं और बढ़ती हैं।

प्रस्तावित कानून में प्रतिबंधित स्थानों पर धूम्रपान करने के लिए दंड भी बढ़ाया जाएगा। अधिकतम जुर्माना Sh50,000 से बढ़ाकर Sh100,000 किया जाएगा, जबकि अधिकतम कैद की अवधि छह महीने से दोगुनी करके 12 महीने होगी। ये पाबंदियां कार्यस्थलों, अदालतों की इमारतों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, पूजा स्थलों, सार्वजनिक परिवहन वाहनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल, बाजारों और खेल स्थलों समेत कई जगहों पर लागू होंगी।

10 से कम सिगरेट वाली डिब्बियां बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं को भी अधिक कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। प्रस्तावित जुर्माना बढ़ाकर Sh100,000 किया जाएगा और अधिकतम कैद की अवधि एक वर्ष होगी। विधेयक में न्यूनतम पैकेजिंग की शर्तें उन अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जिन्हें बाद में निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही, तंबाकू के भ्रामक प्रचार के लिए जुर्माना Sh500,000 से बढ़ाकर Sh1 million करने की मांग है, जबकि मौजूदा तीन साल की कैद की अवधि बरकरार रहेगी।

प्रस्तावों के इस पैकेज की Alcoholic Beverages Association of Kenya, जिसे ABAK के नाम से जाना जाता है, ने पहले ही आलोचना की है और विधेयक वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा स्वरूप में यह उपाय हजारों

नौकरियों को खतरे में डाल सकता है और वैध शराब कारोबारों पर अनुपालन का बोझ बढ़ा सकता है।

ABAK ने कहा कि वह अवैध शराब के खिलाफ प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन प्रस्तावित पाबंदियां आनुपातिक और साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए तथा इन्हें काउंटी सरकारों, कारोबारी संचालकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाना चाहिए। संगठन ने यह चेतावनी भी दी कि वैध कारोबारों पर सख्त नियम अनजाने में कुछ उपभोक्ताओं को असुरक्षित अवैध शराब की ओर धकेल सकते हैं, न कि उससे दूर कर सकते हैं।

यह विवाद विधेयक से जुड़ा मुख्य तनाव उजागर करता है। समर्थक इसे सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा उपाय बताते हैं जिसका उद्देश्य खतरनाक उत्पादों का पता लगाना, अवैध कारोबार घटाना और तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। हालांकि, उद्योग संगठनों का कहना है कि कुछ प्रावधान नियमों का पालन करने वाले उत्पादकों और विक्रेताओं पर नए खर्च थोप सकते हैं, जबकि अवैध शराब की समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा।

यह विधेयक नेशनल असेंबली की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। विधायी प्रक्रिया के तहत जनता को इस पर टिप्पणियां भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रस्तावित पाबंदियों या दंडों में से कोई भी अभी लागू नहीं है। वे तभी प्रभावी होंगे जब संसद विधेयक को मंजूरी देगी और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाएंगे।